

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

क्र. सलीम

विक्रम सिंह

बनाम

133/2021

(2)

22/3/22

पत्र पेश हुआ क्योंकि अर्थात् दस्तावेज उपस्थित  
की तलब के पेश करने पर दस्तावेज 9.6.22  
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

29/12/2023

पत्रावली माननीय न्यायालय राज्य स्व मंडल  
राजस्थान, अजमेर से पत्रांक : - राम न्याय/  
क्रि/शरि/2022/828/सीकर/4594/21.09.23  
से प्राप्त हुई। अर्थात् संख्या 01 के अर्थात् द्वारा  
आवेदन एवं वाद-पत्र खारिज होने की आदेशों की  
प्रस्तुत पर मुताबिक आवेदन वाद-पत्र खारिज होने  
के कारण टी.आई आवेदन को खारिज करने का  
निर्देश दिया। अर्थात् ने मूल वाद-पत्र संख्या  
154/2021 बडनवानी भी सलीम बनाम विक्रम  
की आदेशिका का अवलोकन किया। फुंकि मूल  
वाद दिनांक 20.09.2022 को न्यायालय हाजा  
द्वारा अदम पेंरवी अदम हाजिर में खारिज किया  
जा चुका है। अतः शर्तना-पत्र मूल वाद के  
निस्तारण होने के कारण आवेदन टी.आई को इसी  
स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर ले सम हो। दायित्व दफ्तर  
हो। निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे  
हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सीकर